

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन, मध्य प्रदेश

कचनार ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी,, भोपाल-462016

E-mail: bhopal@mptownplan.gov.in

क्रमांक
प्रति,

बीपीएलएलपी-5185 / एलपी-34 / धारा-16 / नग्रानि / जिका / 2019

भोपाल,दिनांक / 2019

आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी,
कालोनी सेल, एकल खिड़की प्रणाली
नगर पालिक निगम, भोपाल

विषय :- ग्राम-बगरोदा, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल के भूमि खसरा क्रमांक-5/1/1/1, 5/1/2/1, 1/5/2/क, 1/5/2/ख एवं 1/5/2/ग/1 कुल रकवा 5.561 हेक्टेयर (55610.00 वर्गमीटर) पर भूखण्डीय आवासीय विकास हेतु अनुज्ञा बावत्।

परियोजना का नाम:- "सागर सनसिटी-I"

संदर्भ:- आपका आवेदन आवक दिनांक 02.01.2019

---0---

उपरोक्त विषया एवं संदर्भ मे लेख है कि ग्राम-बगरोदा, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल के भूमि खसरा क्रमांक-5/1/1/1, 5/1/2/1, 1/5/2/क, 1/5/2/ख एवं 1/5/2/ग/1 कुल रकवा 5.561 हेक्टेयर (55610.00 वर्गमीटर) भूमि जो कि मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-9-2006-32 दिनांक 24.3.2006 द्वारा भोपाल निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमा में स्थित है। मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3/75/2013/32 दिनांक 5.7.2013 द्वारा दिये गये निर्देशों के तारतम्य में प्रकरण को राज्य नगर नियोजन संस्था को दिनांक-16.01.2015 को प्रेषित किया गया था। राज्य नगर योजना संस्था द्वारा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 15 (5) द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 31.07.2017 के कार्यवाही विवरण पत्र क्रमांक 10306 एवं दिनांक 31.8.2017 अनुशंसा जारी की गई है। समिति के निर्णय के आधार पर संदर्भित पत्र के साथ मेसर्स श्री अग्रवाल कालोनाईजर द्वारा भागीदार श्री संजीव अग्रवाल आ. श्री एस.के. अग्रवाल, 250 सागर प्लाजा एम. पी. नगर, भोपाल का आवेदन के संबंध में भूखण्डीय आवासीय विकास हेतु मध्य प्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16(4) सहपठित धारा 30(1) एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 14(5) एवं 27(1) के प्रावधान के अनुसार विकास की अनुज्ञा के अधीन निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है:-

1. निम्न लिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :-

1. मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959
2. लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग।
3. मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
4. भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल।
5. मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड।
6. राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग प्राधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी) के विकास की स्थिति में।
7. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत या कोई अनुमति व अनापत्ति की आवश्यकता हो तो वह विकास/निर्माण के पूर्व अनिवार्य रूप से प्राप्त करें।

2. आवासीय भूखण्डों पर विकास योजना 2005 की सारणी क्रमांक-4-सा-2 के प्रावधान मान्य होंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by SHIV KANU MUDGAL

Date: 2019.02.02 18:40:20 IST

3. इस विकास अनुज्ञा के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु भूमि परिवर्तन अथवा किसी भी प्रकार से भूमि का विभाजन मान्य नहीं होगा।
4. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम के प्रावधानों के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग/रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया उपनानी होगी। इसके पश्चात ही भूखण्ड पर विद्युत कनेक्शन संबंधित संस्थाओं के द्वारा दिया जा सकेगा।
5. विभिन्न नागरिक सुविधाओं (सर्विसेस) हेतु इस अभिन्यास में जो जगह प्रस्तावित की गई है। उनमें सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट, आडर हैड टैंक, गारवेज डिस्पोजल एवं कालोनी का कचरा इकट्ठा कर उसका निष्पादन किया जावे।
6. सीवेज/टोस अपशिष्ट का ट्रीटमेन्ट निर्धारित क्षमता के ट्रीटमेन्ट प्लांट का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा, तत्पश्चात उसको उपचारात्मक तरीके से कालोनी के बगीचे इत्यादि में उपयोग किया जावे। बगैर शोधित किये सीवेज का निकास पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
7. परिसर जनित होने वाले पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही की जाना एवं करना अनिवार्य होगा।
8. मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञापन क्रमांक-एफ-5-23/2003/32 भोपाल दिनांक-14 अक्टूबर 2005 में उल्लेखित अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक-एस ओ 801 (ई) दिनांक 7 जुलाई, 2004 के परिपेक्ष्य में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार आवेदक संस्था को नियमानुसार ई.पी.ए. एक्ट के तहत संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। योजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक इन्वायरमेंट इम्पेक्ट्स असेसमेंट की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा भवन अनुज्ञा के पूर्व मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से इस प्रकार का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
9. इस कार्यालय एवं राजस्व विभाग द्वारा किये गये स्थल पर सीमांकन (बाहरी सीमाओं) दिनांक 14.01.2019 में दर्शित माप एवं स्थिति के आधार पर ही मान्य होगी।
10. संस्था द्वारा प्रस्तुत अक्स/बटान में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्था की होगी।
11. प्रस्तावित अभिन्यास के आस पास लगी हुई भूमि की सीमाओं पर निर्मित एवं प्रस्तावित अनुमोदित मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित रखी जायें एवं भूखण्डों का समायोजन किया जावे।
12. भोपाल विकास योजना 2005 एवं मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में उल्लेखित भूखण्डीय आवासीय विकास हेतु निर्धारित समस्त मापदण्डों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
13. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 67 के प्रावधानों के अनुसार स्थल पर वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ ही मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार 15 वृक्ष प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल के मान से अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा। स्थल पर विद्यमान वृक्षों को यथावत रखना होगा।
14. मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अनाये गये मध्य प्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 1998 के नियम 10, 12 व अन्य समस्त नियमों का पालन नगर निगम भोपाल द्वारा सुनिश्चित करने के उपरान्त ही विकास कार्य की अनुमति प्रदान की जावे।
13. प्रस्तावित अभिन्यास में सामान्य श्रेणी के कुल 389 आवासीय भूखण्ड प्रस्तावित किये गये हैं, प्रस्तावित कमजोर आय वर्ग के लिये मध्य प्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998 के नियम 10(2) अनुसार मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 19.4.2012 में उल्लेखित प्रावधानानुसार योजना हेतु एल. आई. जी. हेतु 45.00 वर्ग मीटर की 23 आवासीय इकाइयों हेतु 30.00 वर्गमीटर की 45 आवासीय इकाइयों का प्रावधान किया गया है। इकाइयों के निर्माण के लिए 1998 के परिपेक्ष्य में इस बावत् परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करनी है। इसका अंतिम पालन सुनिश्चित कराये जाने के उपरान्त ही नियमानुसार विकास अनुमति प्रदान की जाये।
16. अनुमोदित मानचित्र की सत्यापित मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shiv Kant
MUDGAL
Date: 2019.02.02 18:40:20 IST

17. यह अनुज्ञा अहस्तांतरणीय होगी तथा अनुज्ञप्त उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नहीं होंगे।
18. संलग्न मानचित्र में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना होगा। अतः स्थल पर स्थित मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरुद्ध न किया जावे इसे मान्य नहीं किया जावेगा।
19. स्थल पर अनुमोदन संबंधी जानकारी एक 1.50X1.25 मीटर साईज के बोर्ड पर भी अंकित करना अनिवार्य होगा।
20. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 21 के परिप्रेक्ष्य में विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन शुल्क रूपये 30,000/- चालान सीआरएन क्रमांक—**MPT021703012019000030** दिनांक **30.01.2019** सायवर ट्रेजरी तथा विकास अनुज्ञा शुल्क रूपये 417100/- चालान क्रमांक—**MPT021728012019000056** दिनांक 28.01.2019 द्वारा जमा किये गये वे अंतिम सत्यापन के अध्यक्षीन है यदि आपके द्वारा भुगतान किये गये प्रोसेसिंग/आवेदन शुल्क की गणना में कोई त्रुटि परीलक्षित होती है तो शेष अंतर की राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूलनीय होगी।
21. किसी प्रकार का ठोस उपशिष्ट परिसर के आसपास की भूमि पर फेंकना/फैलाना प्रतिबंधित रहेगा।
22. संस्था एवं नगर पालिका निगम भोपाल को मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम—2012 के नियम 31 तथा अन्य समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
23. यह अनुमति आवेदक द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत शपथ पत्र में उल्लेखित वर्जन के आधार पर दी जा रही है कि शपथकर्ता इस भूमि का भू-स्वामी अथवा मुख्तार आम जो उसका वैधानिक कर्ता-धर्ता है। साथ ही इस अनुमति का उपयोग वैसा ही किया जायेगा, जैसा कि अनुमति है व वैसा जैसा कि अनुमति में उल्लेखित शर्तों में उल्लेख है।
24. जल-मल निकासी की व्यवस्था निर्धारित मापदण्डों के अनुसार की जावे।
25. निर्माणकर्ता को यह बाध्यता होगी कि वह समुचित पेयजल व्यवस्था, जल मल निकासी, पार्किंग स्थलों का विकास, हरित क्षेत्रों का विकास एवं वृक्षारोपण इत्यादि विकास कार्यो को सम्पूर्ण करने के पश्चात ही भवन का उपयोग प्रारंभ करें।
26. इस अनुज्ञा को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे तथा किसी भी प्रकार का भूमि विवाद होने पर यह अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
27. यह अनुमति आवेदक द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत शपथ दिनांक 03.01.2019 में उल्लेखित वर्जन के आधार पर दी जा रही है कि शपथकर्ता इस भूमि का भू-स्वामी अथवा मुख्तार आम जो उसका वैधानिक कर्ता-धर्ता है। साथ ही इस अनुमति का उपयोग वैसा ही किया जायेगा, जैसा कि अनुमति है व वैसा जैसा कि अनुमति में उल्लेखित शर्तों में उल्लेख है।
28. स्थल पर वर्तमान में विद्यमान इलेक्ट्रिक लाईन के नीचे विकास/निर्माण कार्य स्वीकार्य नहीं होगा, लाईनों को स्थानांतरित किये जाने के पश्चात ही आवेदक/संस्था द्वारा विकास कार्य शुरू किया जावे, एवं इलेक्ट्रिक लाईन हेतु नियमानुसार भूमि छोड़ना आवश्यक होगा।
29. आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार एक भूखण्ड पर एक आवासीय इकाई मान्य है।
30. मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुरूप यह अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी।
31. राज्य नगर नियोजन संस्थान के पत्र क्रमांक—10306/सिटॉप/Signature Not Verified 2017 में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन सुनिश्चित हो।
Digitally signed by SHIV KANT
MUDGAL
Date: 2019.02.02 18:40:20 IST
32. आवेदक संस्था द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार प्रश्नाधीन अधिनियम के आधार पर परियोजना का नाम " सागर सनसिटी-I" रहेगा, बगैर लिखित स्वीकृति के इसमें कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

35. एस टी पी हेतु 9.00 लाख की बैंक गारन्टी 1860IGPER028918 दिनांक-06.12.2018 एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु रु. 43.33 लाख बैंक गारन्टी 1860IGPER029018 &1860IGPER030118 दिनांक-06.12.2018 एवं 19.12.2018 द्वारा राज्य नियोजन संस्थान में जमा की गई है। उनके पत्र क्रमांक-2918 दिनांक-28.12.2018 द्वारा पुष्टी की गई है।
36. उपरोक्त किसी भी शर्त को उलंघन करने पर यह अनुज्ञा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के तहत रिवोक कर दी जावेगी।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन म.प्र.

पृ. क्रमांक बीपीएलएलपी-5185/एलपी-34/धारा-16/नग्रानि/जिका/2019 भोपाल,दिनांक /2019
प्रतिलिपि:-

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन (बैंच) भोपाल की ओर प्रकरण क्रमांक-21/2014 में दिनांक 17.12.15 को जारी आदेश के पालन में कृपया सूचनार्थ। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
2. आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश भोपाल (कम्प्यूटर कक्ष) की ओर निर्देशानुसार सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. उपमहाप्रबंधक/कार्यपालन यंत्री, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को सूचनार्थ। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
4. सदस्य सचिव मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भोपाल की ओर सूचनार्थ। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
5. वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं संबंधित क्षेत्र के उप पंजीयक, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
6. अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार, तहसील हुजूर (संबंधित वृत्त), जिला भोपाल की ओर इस लेख के साथ प्रेषित है कि इस अनुज्ञा को संबंधित राजस्व निरीक्षक/पटवारी के खसरा रिकार्ड के कॉलम 12 में " नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा इस खसरे का ले-आउट स्वीकृत हो गया है" की टीप अंकित किये जाने बावत् नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
7. खनिज अधिकारी, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
8. सर्वेक्षक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
9. मेसर्स श्री अग्रवाल कालोनाईजर द्वारा भागीदार श्री संजीव अग्रवाल आ. श्री एस.के. अग्रवाल, 250 सागर प्लाजा एम. पी. नगर, भोपाल प्रश्नाधीन भूमि पर प्राप्त समस्त अनुज्ञाओं की प्रति इस कार्यालय को जारी होने के 15 दिन के भीतर आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें तथा समस्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करें। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHIV KANT
MUDGAL
Date: 2019.02.02 18:40:20 IST

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन म.प्र.

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल सीहोर, रायसेन मध्यप्रदेश

" कचनार " ई-5, पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी हबीवगंज पुलिस थाना के पास भोपाल 462016

E-mail : Bhopal @mptownplan.gov.in

क्रमांक: 1907 बीपीएलएलपी 5185/एलपी 34/16/नग्रानि/जिका/2019, भोपाल, दि 02 / 08 / 2019

प्रति,

मेसर्स श्री अग्रवाल कालोनाईजर
भागीदार श्री संजीव अग्रवाल आ० श्री एस.के. अग्रवाल
250, सागर प्लाजा, एम०पी० नगर
भोपाल।

विषय :- परियोजना का नाम सागर सनसिटि -1 से परिवर्तित कर सेज सनसिटि-1 करने बाबत।

संदर्भ :- आपका आवेदन दिनांक 15.07.2019

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम बगरोदा तहसील हुजूर, जिला भोपाल खसरा क्रमांक 5/1/1/1, 5/1/2/1, 1/5/2/क, 1/5/2/ख एवं 1/5/2/ग/1 कुल रकबा 5.561 हेक्टर (55610.00वर्गमीटर) पर कार्यालय के पत्र क्रमांक बी पी एल एल पी 5185/ एल पी 34 / 16/ नग्रानि/ जिका/ 2019 दिनांक 02.02.2019 द्वारा भूखण्डीय विकास अनुज्ञा जारी की गई थी जिसमें परियोजना का नाम सागर सनसिटि -1 के स्थान पर स्वीकृत मानचित्र एवं अनुज्ञा पत्र में सेज सनसिटि-1 पढ़ा जावे शेष सभी शर्तें जारी अनुज्ञा पत्र अनुसार यथावत रहेंगी।

उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला-भोपाल-सीहोर, रायसेन, मध्यप्रदेश

क्रमांक: बीपीएलएलपी 5185/एलपी 34/16/नग्रानि/जिका/2019, भोपाल, दि 07 / 2019

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल जोन भोपाल की ओर प्रकरण क्रमांक 21/2014में दिनांक 17.12.15 को जारी आदेश के पालन में कृपया सूचनार्थ।
2. आयुक्त नगर पालिक निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. उपमहाप्रबंधक/कार्यपालन यंत्री, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को सूचनार्थ।
4. वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं संबंधित क्षेत्र के उप पंजीयक, भोपाल की ओर कलेक्टर, जिला भोपाल के पत्र के तारतम्य में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
5. अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार, तहसील हुजूर (संबंधित वृत्त), जिला भोपाल की ओर इस लेख के साथ प्रेषित है कि इस अनुज्ञा को संबंधित राजस्व निरीक्षक/पटवारी के खसरा रिकार्ड के कॉलम 12 में "नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा इस खसरे का ले-आउट स्वीकृत हो गया है" की टीप अंकित किये जाने बाबत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. खनिज अधिकारी, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सर्वेकक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल को सूचनार्थ।

उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला-भोपाल-सीहोर, रायसेन, मध्यप्रदेश